



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-3584/MH/16/2024-ESDW (RU-I)

दिनांक: 30.06.2026

जिला कलेक्टर,
जिला-गडचिरोली,
कार्यालय जिला कलेक्टर,
गडचिरोली, महाराष्ट्र-442605
ई-मेल: collector.gadchiroli@maharashtra.gov.in
संपर्क सूत्र: 07132 222005

विषय: महाराष्ट्र के गडचिरोली जिले के आदिवासी गांवों में चिकित्सा सुविधाएं एवं पक्की सड़क निर्माण के संबंध में श्री रामजी म. महेश्वरी "संजोट", राष्ट्रीय सचिव, विश्व मानव कल्याण परिषद, बैरक क्र. 1782 के पास, एम. आय. सेक्शन, रानसी वेलर्जी सिराखा मार्ग, उल्हासनगर, जिला-ठाणे, महाराष्ट्र से दिनांक 06.09.2023 का अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 17.12.2024 एवं 26.05.2025 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लेखित प्रकरण का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-1, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में दिनांक 20.07.2026 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि पर उक्त प्रकरण से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष परीक्षण के लिए अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।


(पूर्णन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री रामजी म. महेश्वरी संजोट,
राष्ट्रीय सचिव,
विश्व मानव कल्याण परिषद, बैरक क्र. 1782 के पास,
एम. आय. सेक्शन, रानसी वेलर्जी सिराखा मार्ग, उल्हासनगर,
ठाणे-421005, महाराष्ट्र
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु
आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।